दैनिक
न्याय साक्षी

आदिवासी समाज की विधवा महिला को मारपीट करने गंदी-गंदी गाली देकर प्रताड़ित करने के मामले में न्यायालय ने लिया संज्ञान, किया केस रजिस्टर्ड

» सामाजिक न्याय संघ का एक और सराहनीय कार्य » अधिकार से न्याय की मुहीम का एक और आयाम

» रायगढ़ पुलिस की लचर कार्यवाही असंतुष्ट होकर ली थीं न्यायालय की शरण

रायगढ़। जातिगत गालीगलौज व मारपीट करने से पीड़ित एक आदिवासी महिला ने रायगढ़ पुलिस द्वारा किये गए कार्रवाई से असंतुष्ट होकर सामाजिक न्याय संघ में आवेदन किया। जिस पर सामाजिक न्याय संघ द्वारा प्रकरण माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्रीमती गिरिजा देवी मरावी के न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेज एवं तथ्यों के सापेक्ष में प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थिया एवं अन्य का बयान समक्ष न्यायालय हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों को प्रोसेस् किया जाकर आहुत किया है। प्रार्थिया के द्वारा न्याय मिलने पर बेहद हर्ष व्यक्त किया गया है और अपने अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है।

क्या था प्रकरण- अपने आवेदन में प्रार्थिया जानकी सिदार ने कहा कि, मैं ''जानकी सिदार'' जौ0जे0 स्व0 प्रेमलाल, उम्र 42 वर्ष लगभग, निवासी रामबाग के पीछे, मोदीपारा, कोतरा रोड, रायगढ़, थाना कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़, छ0ग0, मो0नं0 81036××××× , की रहने वाली हूँ। कहा कि, मैं आदिवासी समाज से आने वाली महिला हूँ , और मैं रायगढ में कार्यरत् हूॅ। दिनॉक 06/02/2018 को सुबह 7.00 बजे के लगभग, संतोष के घर पूजा का पानी लेने जा रही थीं, तभी श्रीमती दुर्गा देवांगन मुझे देखते ही साली विधवा, आदिवासी, कलमुही, सुबह-सुबह इसका मुँह देख लिया, कहकर गाली-गलौज करने लगी। इसके बाद उसका पति महेश देवांगन भी वहॉ आ गया, और वो भी मुझे जातिगत गाली देकर मार-पीट करने लगा, हो-हल्ला सुनकर और मेरे बचाओ-बचाओ कर आवाज देने पर मेरी माता शगुनमति बीच-बचाव करने आई, तो महेश देवांगन बोला कि ''इधर मत आ बुढिया नहीं तो एक हाथ पड़ेगा तो एक ही बार में पार हो जाएगी'', जिससे मेरी माता डर गई, और दोनो महेश एवं दुर्गा देवांगन ने मेरे साथ सार्वजनिक रुप से काफी मार-पीट की और मुझे सार्वजनिक रुप से बेईज्जत भी किया गया, जिससे मैं मानसिक रुप से प्रताड़ित हुई और समाज में बेईज्जत भी हुई। मैं सुबह - सुबह नाईटी में थीं, इस घटना में महेश देवांगन द्वारा उसे भी खींचा गया, जिससे कि मेरी नाईटी फट गई, जो कि आज तक मेरे पास है, जिसे जांच के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

ये हुई कार्यवाही

दिनॉक 26/04/2018 को एक प्रकरण माननीय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) श्रीमती गिरिजा देवी मरावी के न्यायालय के समक्ष उक्त समस्त दस्तावेज एवं तथ्यों के सापेक्ष में प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थिया एवं अन्य का बयान समक्ष न्यायालय हुआ। माननीय न्यायाल के द्वारा पुलिस को प्रतिवेदन हेतु आदेशित किया गया जिसमें पुलिस ने अपनी संज्ञान नहीं लेने की कार्यवाही को उचित ठहराया, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा पुलिस के द्वारा की गई जॉच से संतुष्ट नहीं होते हुए प्रकरण को एक आपराधिक प्रकरण माना और प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों को प्रोसेस् किया जाकर आहुत किया है। प्रार्थिया के द्वारा न्याय मिलने पर बेहद हर्ष व्यक्त किया गया है और अपने अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है।

कोई कार्यवाही नहीं की रायगढ़ पुलिस ने

प्रार्थिया जानकी सिदार ने कहा कि, उक्त घटना के बाद में, दिनॉक 06/02/2018 को कोतवाली थाना, रायगढ़ गई, जहॉ ए0एस0आई0 राजपूत ने मुझे भगा दिया कहा कि - आदिवासी लोग केवल फंसाना जानते हो, चलो भगो यहॉ से, क्यो आते हो थाना, मार खा लो,, थाना मत आना, जिसके बाद भी मैं वहॉ काफी देर खड़ी रही, फिर मैंने दूसरे एक पुलिस वाले से पावती ली। अपनी पीड़ा को बताने के लिए इसके बाद मैं तात्कालिक एस0पी0 रायगढ़ के पास गई, जहॉ कहा गया कि कार्यवाही कराता हूॅ, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदन में लेख है कि, इसके बाद दिनॉक 07/02/2018 को प्रार्थिया अ0जा0क0 थाना गई, जहॉ तत्कालिक डी0एस0पी0 शर्मा ने कहा कि कोतरा रोड थाना में भुनेश्वरी पैंकरा के पास जाओ और बयान दे दो, तब मैं शाम को उनके पास गई, जहॉ मेंरा बयान हुआ, जिसे भुनेश्वरी पैंकरा के द्वारा अ0जा0क0 थाना में जमा किया गया, इसके लगभग एक हफ्ते बाद शिवरात्रि दिनॉक 13/02/2018 को थाना में गवाह वृंदा महंत, डोरीलाल के बयान लिए गए, जिसके बाद से लगातार मुझे रोज थाना बुलाया जाता और मैं दिन-दिन भर वहां बैठी रहती, कोई कार्यवाही डी0एस0पी0 शर्मा के द्वारा नहीं की गई। काफी बोले जाने और निवेदन किए जाने के बाद दिनॉक 12/03/2018 को पुलिस वाले हमारे मोहल्ले में आए थें, तब एक अन्य गवाह राठौर का भी बयान हुआ और अपराध सदर पाए जाने के बाद भी पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध सम्बंधी दस्तावेज दिनॉक 16/03/2018 को मुझे दे दिया गया, जो कि एक आदिवासी विधवा महिला से अन्याय है, और यह न्यायोचित कार्यवाही नहीं है। पुनः जॉच करने हेतु और न्यायोचित कार्यवाही कराए जाने हेतु मेरे द्वारा आवेदन सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थिया ने कहा कि, प्रकरण पर संज्ञान नहीं लिया जाना,, मेरे लिए बेहद कष्टकारक है, प्रकरण की जॉच करने वाले पुलिस अधिकारी की लापरवाही से में मानसिक रुप से आहत हूॅ।

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रख्यात पंथी नर्तक डॉ. राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ के ख्यातिप्राप्त पंथी नर्तक डॉ. राधेश्याम बारले को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित होने पर फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने बारले को दूरभाष पर बधाई देते हुए कहा कि डॉ. राधेश्याम बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरवान्वित किया है।

कोरबा-उरगा रेलवे फाटक 11 को रहेगा बंद

कोरबा (आरएनएस)। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे अंतर्गत आने वाला समपार फाटक क्रमांक सीजी 26 किलोमीटर 702/02-04 कोरबा-उरगा के मध्य ई-केबिन में स्थित मानव सहित फाटक 11 नवंबर को आवागमन के लिए बंद रहेगा। यह रेलवे फाटक सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक गेट में आवश्यक मरम्मत का काम होने के कारण बंद रहेगा। रेलवे ने इसके लिए सूचना जारी कर दी है। इस दौरान यात्रा परिवर्तित मार्ग सीजी 29 सिटी गेट किलोमीटर 704/34-36 में निर्मित फ्लाई ओवर ब्रिज से एवं नहर फाटक सीजी किलोमीटर 704/2-4 से किया जाएगा। रेलवे फाटक को जरूरी मरम्मत काम के कारण सड़क मार्ग के यातायात के लिए बंद रखा जायेगा।

ट्रेन की पटरी पर युवक की सिर कटी लाश मिलने से फैली सनसनी

रायपुर(आरएनएस)। खमतराई मंगलवार दोपहर के वक्त पटरियों पर युवक की लाश मिली थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हटाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवक पटरी पार करते वक्त ट्रेन से टकराया है। या मामला खुदकुशी का है। इसकी जांच पुलिस कर रही है।

जुआ खेलते 14 गिरफ्तार,ताश की 52 पत्ती एवं नगदी 4 लाख 50800 रुपये जब्त

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर के तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मातर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जुआ खेलते 14 जुआरियों को गिरफ्तार कर 4 लाख 50800 रुपये एवं ताश की 52 पत्ती जब्त की है। मिली जानकारी के मुताबिक तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में जुआ खेलने की सूचना पर किसान राइस मिल के पास नेवरा में पुलिस ने 7/8 नवंबर की दरम्यिानी रात दबिश देकर रुपये पैसे के दाव लगाते 14 जुआरियों को पकड़ा है। पकड़े गए जुआरियों के फड़ व उनके कब्जे से नगदी 450800 रुपये एवं ताश की 52 पत्ती जब्त की है। पकड़े गए जुआरियों के नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम मनीष सोनी पिता बनवारी लाल सोनी तिल्दा नेवरा ,अनिल गांधी पिता स्व.लक्ष्मी नारायण गांधी नेवरा रायपुर ,रोशन शर्मा, संतोष शर्मा नेवरा रायपुर, खिलेश्वर काठले पिता देवदास काठले ,तिल्दा रायपुर, जितेन्द्र अग्रवाल पिता फु लचंद अग्रवाल नेवरा रायपुर ,अमित अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल नेवरा रायपुर नेवरा रायपुर,मोंटी बजाज पिता राजेश बजाज तिल्दा,सतीश उर्फ ललित राठी पिता पूरन लाल राठी नेवरा रायपुर,निखिल जैन पिता नरेन्द्र जैन नेवरा,राजू अग्रवाल पिता सीताराम अग्रवाल नेवरा रायपुर ,दिनेश गुप्ता पिता स्व.चंदुलाल गुप्ता नेवरा रायपुर,सुशील अग्रवाल पिता स्व. किशन लाल अग्रवाल नेवरा रायपुर छत्तीसगढ़,अरूण अग्रवाल स्व. बसंत लाल अग्रवाल तिल्दा नेवरा बताया है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत कार्रवाई कर जमानतीय मुचलका पर रिहा कर दिया गया है।

छठ पूजा के लिए गाईड लाईन जारी

» कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़ । नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए एवं आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपायों को अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर भीम सिंह द्वारा 10 नवम्बर 2021 को छठ पूजा हेतु आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेशानुसार छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार छठ पूजा में प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग, वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।

नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

ओव्हर लोड गाड़ियों पर लगातार करें कार्यवाही: कलेक्टर

» कलेक्टर सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। जिले में सड़क मार्ग से माल परिवहन करने वाले गाड़ियों की लगातार जांच जारी रहनी चाहिए। इसके लिए पुलिस व परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर माल परिवहन में लगी गाड़ियों की जांच करें। ओव्हर लोड गाड़ियों पर लगातार कार्यवाही होती रहनी चाहिए। उक्त बातें कलेक्टर भीम सिंह ने आज साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही। कलेक्टर सिंह ने कहा कि ओव्हर लोड गाड़ियों के निरंतर परिवहन से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके लिए जरूरी है कि लगातार ऐसे गाड़ियों पर कार्यवाही की जाए। वाहनों की तय क्षमता के अनुसार ही माल परिवहन हो। कलेक्टर सिंह ने धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संचालन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा जेनेरिक दवाए लिखने के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स की मीटिंग लेने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। साथ ही उन्हें अपने क्षेत्र अंतर्गत इन मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया। कलेक्टर सिंह ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लगने वाले शिविरों में भी अधिक से अधिक मरीजों की जांच करने के निर्देश दिए। जिले में लगने वाले प्रत्येक हाट-बाजार क्लीनिक के लिए डेडीकेटेड गाड़ियों की व्यवस्था जल्द करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। कलेक्टर सिंह ने कोविड को लेकर सतर्कता बरतने के लिए कहा। उन्होंने प्रतिदिन होने वाले टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने सभी गौठानों में पर्याप्त जलापूर्ति व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने गौठानों में आने वाले पशुओं के लिए पैरादान को प्रोत्साहित करने के निर्देश सभी जनपद सीईओ को दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में आगामी जून माह तक के लिए सूखे चारे की व्यवस्था करनी है, इसके लिए 10 दिसम्बर तक सभी गौठानों में पर्याप्त मात्रा में पैरा का भंडारण करवाया जाए। उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत होने वाले भुगतान की समीक्षा करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेता तथा वर्मी कम्पोस्ट बनाने वाले स्व-सहायता समूह का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए। रबी फसल के सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने आगामी मार्च माह तक रोका-छेका अभियान जारी रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस जैसे कार्यक्रम अनुमति लेकर ही किए जाएं। बिना अनुमति के ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने पर कार्यवाही करें। कलेक्टर सिंह ने लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के समय-सीमा के भीतर निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के अंदर आवेदनों का निराकरण करना विभागों की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम जनचौपाल, पीजीएन पोर्टल, कलेक्टर जनचौपाल के भी लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। दो माह से अधिक लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए।

शहीद 4 जवानों को श्रद्धांजलि के बाद शवों को गृहग्राम भेजा गया

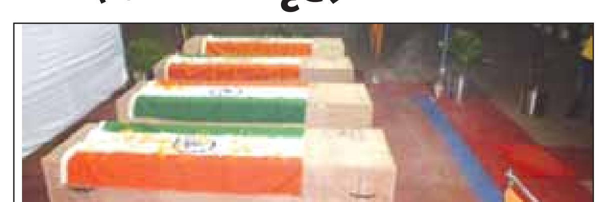

जगदलपुर (आरएनएस)। सुकमा जिले के लिगलपल्ली कैंप में सीआरपीएफ 50 बटालियन के जवान द्वारा अपने 07 साथियों के ऊपर गोलीबारी की कल हुई घटना के बाद शहीद हुए 04 जवानों धनजी, राजीव मंडल, राजमणि यादव और धर्मेद्र कुमार को जगदलपुर के 80 वीं बटालियन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके शवों को गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद 04 जवानों के शवों को मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में पोस्टमार्टम के उपरांत बीती रात करीब 10 बजे नया बस स्टैंड स्थित सीआरपीएफ के 80 वीं बटालियन परिसर में जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके शवों को गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल 03 जवानों में से 01 जवान का इलाज भद्राचलम में और 02 जवानों का इलाज रायपुर में चल रहा है।

दुर्ग से चलने वाली 3 ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा

» बिलासपुर-पुणे-बिलासपुर 11 को अतिरिक्त कोच के साथ चलेगी

रायपुर (आरएनएस)। दुर्ग से छपरा, नौतनवा एवं कानपुर के मध्य फेरे लगाने वाली 03 गाड़ियों तथा बिलासपुर-पुणे के मध्य एक गाड़ी में अतिरिक्त कोच की सुविधा रेलवे प्रशासन द्वारा दी जा रही है। रेल मंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 05160/05159दुर्ग-छपरा-दुर्ग स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दुर्ग से 09 नवंबर एवं 15 नवंबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08201/08202 दुर्ग- नौतनवा-दुर्ग स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दुर्ग से 10 नवंबर एवं 12 नवंबर 2021 को उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 08203/08204 दुर्ग-कानपुर-दुर्ग स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा दुर्ग से 14 नवंबर 2021 को उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 08229/08230 बिलासपुर- पुणे-बिलासपुर स्पेशल गाड़ी में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा बिलासपुर से 11 नवंबर को उपलब्ध रहेगी।

महिला सशक्तीकरण हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रायगढ़ । जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के अध्यक्ष रमाशंकर प्रसाद के निर्देशन में 'आजादी का अमृत महोत्सव' पेन इंडिया अर्वेनेस एण्ड आउटरिच अभियान अन्तर्गत तथा 'विधिक सेवा दिवस' के अवसर पर, जिला न्यायालय परिसर रायगढ़ के नये भवन मिडियेशन सेन्टर में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। जिसमें स्कूल के टीचर्स, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन तथा रिसोर्स पर्सन में अधिवक्तागण शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य थीम '' मोर नोनी, मोर महतारी, सुपोषण, सुरक्षा अऊ सम्मान के अधिकारी'' रखा गया।

यह कार्यक्रम दो चरणों में सम्पादित किया गया। जिसमें महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकारों जैसे कन्या भ्रूण हत्या आदि से आरम्भ करते हुए सीनियर सिटीजन संबंधी कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ से उपस्थित जिला महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती चैताली राय विश्वास, चिकित्सा विभाग से डॉ.काकोली पटनायक तथा पुलिस परामर्श केन्द्र से सुश्री संध्यारानी कोका एवं रिसोर्स पर्सन श्रीमती रितु सिंह, अधिवक्ता द्वारा संविधान के अन्तर्गत महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, 2005 तथा महिलाओं के लिये बने अन्य कानून के बारे में तथा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के संदर्भ में महिला चिकित्सक द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्यगत अधिकारों एवं महिलाओं के गर्भपात के बारे में बताया गया। साथ ही महिला बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत जानकारियॉ दी गईं।

कार्यक्रम का दूसरा चरण दोपहर 2 बजे से प्रारम्भ किया गया। जिसमें जिला न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद, अपर जिला न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप तथा अन्य महिला न्यायाधीशगण में विशेष न्यायाधीश श्रीमती गिरिजादेवी मेरावी तथा श्रीमती पल्लवी तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम तथा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अन्य कानूनों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अन्त में रिसोर्स पर्सन कु.देवकी साव, अधिवक्ता द्वारा महिलाओं से जुड़ी कानूनी जानकारियों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। महिलाओं के अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए, आभार प्रदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सचिव श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा के द्वारा किया गया। पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को महिलाओं से संबंधित कानूनी पुस्तकों, बुकलेट एवं पाम्पलेट्स का वितरण किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480